



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०६/२६८/२०२२/एफ.सी. 1962

दिनांक: 18.03.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/31275/2018**

विषय: कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर - बिलसण्डा मार्ग संख्या 62 पी०ए० के चौनेज 14.346 से 14.381 बांयी पटरी पर ग्राम चरखौला तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खसरा / गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक : 2555/11-सी -FP/UP/Others/31275/2018,  
दिनांक 09.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक 1557/81-2-2022-800 (38) / 2022, दिनांक-06.09.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.02.2023 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अधूरी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। अतः विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. Action taken by the SFD against the Officials for not being able to prevent use of forest land without approval of Central Govt.
2. Corrupt .kml file of CA area has been uploaded on portal which needs to be rectified.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत वन प्रभाग पीलीभीत
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० कमला नेहरु मार्ग बरेली।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}